

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
 पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- 24 वा ना

प्रकरण संख्या:- 47/2025

दिनांक:- 25/1/2025

नेलराम पुत्र कंवरपाल
 गुजर नि० गोलेशगंज

सुनवान
 सरकार जरिये तहसीलदार
 चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



आदेश :-

प्राथी के खाला दुरुरली प्राथीना चक्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का सुनवाना भू. ज. नि. पांवेडा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम गोलेशगंज प. 0 ह. 0 सुनवाना की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाला संख्या 87 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	डीक के नाम में अशुद्ध	स्टेट बैंक साउथ बीकानेर 208 जयपुर 212वा चौथ का बरवाड़ा	स्टेट बैंक साउथ इच्छिया 212वा चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिनिधी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख हे कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्राथी श्री नेलराम पुत्र कंवरपाल गुजर नि० गोलेशगंज
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)